कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर।

पत्रांक 59 /23–अल्पकालीन निविदा सूचना/न0पा0 दिनांक 07.06.19

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में वर्ष 2018–20 में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क एवं ग्रीन स्पेस योजना हेतु पार्को के सुन्दरीकरण हेतु निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। उक्त निविदा www.etender.up.nic.in पर दिनांक 24.06.19 अपरांह 2:00 बजे से दिनांक 15.07.19 02:00 बजे तक आनलाईन उपलब्ध रहेगी। उक्त निविदा की टेक्निकल बिड दिनांक 18.07.19 अपरांह 2:00 बजे निविदा समिति द्वारा आनलाईन अधेहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जाएगी तथा फाईनेन्शियल बिड खोले जाने का समय टेक्निकल बिड खोले जाने के उपरांत तय किया जाएगा। निविदा के साथ निविदा का 02 प्रतिशत एफ0डी0आर0/टी0डी0 आर0/एन0एस0सी0 लगाना अनिवार्य होगा, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के पद नाम से बंधक रहेगा। उक्त निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद के पंजीकृत समस्त फर्म/ठेकेदार उक्त वेबसाइट से दिनांक 24.06.19 अपरांह 2:00 बजे से दिनांक 15.07.19 02:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते है। निविदा सम्बन्धी जानकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर व वेबसाइट www.etender.up.nic.in से की जा सकती है। निर्धारित समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त नही किया जायेगा। बिना कारण बताये एक या समस्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर में निहित होगा। निविदा मूल्य रू0 3,000.00 व 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 360.00 कुल रू0 3,360.00 की धनराशि टेण्डर अपलोड से पूर्व, **नगर पालिका परिषद गाजीपुर के खाता सं0 86732010006023**, बैंक का नाम **सिंडिकेट बैंक**, शाखा गाजीपुर, आई0एफ0एस0सी0 कोड **SYNB0008673** में जमा कर रसीद की प्रति टेण्डर के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क0 सं0	पार्क का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी0एस0टी0 सहित।	कार्य अवधि
1	डा0 राजेन्द्र प्रसाद पार्क	2015-16	37.15	3360.00	90 दिवस
2	गॉधी पार्क	2016-17	41.78	3360.00	90 दिवस

(उमेश चन्द्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गाजीपुर।

(सरिता अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद
गाजीपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर।

नियम–शर्त

1. कार्ययोजना के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त घटक जैसेः
   - सिविल वर्क।
   - होर्टिकलचर एवं लैण्डस्केपिंग।
   - चाईल्ड प्ले ऐरिया डेवल्पमेंट।
   - बेन्च पार्क, डस्टबिन।
   - सोलर लाईट/हाई मास्टर एवं स्ट्रीट पार्क लाइटिंग।
   - फाउन्टेन।
   - पेयजल हेतु आर0ओ0 आदि।

   कार्य करने हेतु निविदादाताओं को अनुभवी/तकनीकी स्टाफ रखना अनिवार्य है।
2. निविदादाताओं को कार्ययोजना के कियान्वयन के साथ–साथ उसके अगले 5 वर्षो तक का रख–रखाव करना अनिवार्य है। जिसमें जमानत धनराशि रख–रखाव अवधि बीतने के पश्चात रिलीज की जायेगी।
3. निविदा स्वीकृत होने की सूचना राज्यस्तर पर गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त दी जायेगी, स्वीकृतोपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
4. सशर्त टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा।
5. नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर, श्रमकर, रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।
6. टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बान्ड/शपथपत्र भी देना होगा।
7. टेण्डर को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को होगा।
8. निविदादाता को निविदा के साथ विज्ञप्ति में प्रकाशित 2 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना होगा। बिना जमानत धनराशि की निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरांत शेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नगर पालिका परिषद गाजीपुर में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. टेण्डर के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं ठेकेदार के पास उपलब्ध धराहर धनराशि के अनुसार ही टेण्डर निर्गत किये जायेगें।
10. टेण्डर फार्म टेण्डर रेट (दरें) प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होना चाहिए। उसमे किसी प्रकार की कटिंग /ओवर राइटिंग मान्य नही होगी।
11. सी0सी0 निर्माण कार्य में बाइब्रेटर चलाना आवश्यक होगा।
12. शासनादेश अनुसार टेण्डर के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व–घोषणापत्र , शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
14. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना एवं लेबर सेस मे पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
15. स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

(उमेश चन्द्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गाजीपुर।

(सरिता अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद
गाजीपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by UMESH CHANDRA
Date: 2019.06.21 12:46:32 IST
Location: Uttar Pradesh